Court Fee — भारत INDIA — बीस रुपये TWENTY RUPEES — Rs.20

(211)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विवि 9292-I-16

विविध प्र0क0 —एक/2016 जिला — जबलपुर

श्री ओमकार सिंह मशराम पिता चमरूलाल मशराम
निवासी 130/1 ग्राम देवरीकला तहसील
कुण्डम जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर
2. रवि ग्रोवर पिता श्री भागीरथ प्रसाद ग्रोवर
निवासी 534, जार्ज डिसल्वा वार्ड,
जबलपुर --- अनावेदकगण

812
19-12-16

19/12/16

विविध आवेदन अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2373—एक/16 में पारित आदेश दिनाक 21—7—16 द्वारा दी गई अनुमति की शर्त कमांक 3 में वृद्धि बावत)

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि —

1. यहकि, इस न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी कमांक **2373—एक/16** में दिनांक 21—7—16 को आदेश पारित करते हुए आवेदकों को शर्तो के साथ भूमि विकय की अनुमति प्रदान की गई है ।
2. यहकि, आदेश की शर्त कमांक 3 के अनुसार 4 माह का समय विकयपत्र के निष्पादन हेतु दिया गया है ।
3. यहकि, आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर विकयपत्र पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुआ किंतु उप पजीयक द्वारा इस आधार पर विकयपत्र का

ओमकार सिंह विरूद्ध म0प्र0 शासन

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 9292-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव गौतम उपस्थित । उभयपक्षों के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 2373-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-7-16 द्वारा आवेदक को शर्तो के साथ भूमि विक्रय की अनुमति दी गई है और शर्त क्रमांक 3 के अनुसार 4 माह की अवधि में भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन कराने की शर्त रखी गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक कई बार उप पंजीयक के समक्ष विक्रयपत्र के पंजीयन कराने हेतु उपस्थित हुए परंतु उप पंजीयक द्वारा कहा गया कि केता द्वारा बाजार मूल्य की राशि की दुगनी राशि अदा करने पर ही विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । आवेदक अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि केता द्वारा दुगनी राशि की व्यवस्था करने में समय लगने की बात कही जा रही है, उक्त कारण से अभी तक विक्रयपत्र का पंजीयन प्रस्तावित केता के पक्ष में नहीं कराया जा सका है और और उक्त अवधि दिनांक 21-11-16 को समाप्त हो गई है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा 4 माह का समय विक्रयपत्र का पंजीयन कराने हेतु दिए जाने का अनुरोध किया गया । विचारोपरांत न्यायहित में आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्र0क0 निग0 2373-एक/16 में पारित आदेश दिनांक 21-7-16 में विक्रयपत्र के निष्पादन हेतु दी गई अवधि को आज दिनांक से 4 माह और बढ़ाया जाता है । उक्त निर्देश के साथ यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	21.12